

01.04.2024

पत्रावली पेश हुई।

अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम महादेवपुरा के खेत खसरा संख्या 1253 रकबा 0.10 बीघा भूमि में छपरा व बाड़ा कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22(2) के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था, नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं है का जबाब पेश किया गया। तहसीलदार कोर्ट ने अपीलाण्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश पारित कर दिया अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22(2) की कार्यवाही लागू ही नहीं होते ही है, अपीलाण्ट का संख्या 1495 पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं है, तहसीलदार बाप द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट को पश्चातवृत्ति अतिचार करने पर तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया था, जबकि अपीलाण्ट स्वयं ने उपस्थित होकर न्यायालय में जबाब पेश किया था कि दिनांक 23.07.2020 को उक्त सरकारी भूमि से कब्जा हटा लिया है इसलिए पुनः अतिक्रमण करने का दिनांक 08.03.20021 को जो नाटिस दिया गया वह गलत है और इस पत्रावली दिनांक 06.07.2021 को सुनवाई हेतु नियत थी दिनांक 06.07.2021 को अपीलाण्ट अनुपस्थिति में हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक बयान लिये जाना भी बताया गया है जबकि तहसील कोर्ट की पत्रावली में हल्का पटवारी के बयानों पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई जिरह का अवसर नहीं दिया गया। जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार कोर्ट ने एक तरफ कार्यवाही अमल में लायी जाकर सुनवाई का जबाब बंद कर दिया गया जिससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाब एवं दस्तावेजात साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। तहसीलदार कोर्ट ने आदेश पारित करते समय जल्दबाजी दिखाते हुए फाईल में सोर्टकट अपनाते हुए फैसल कर दी है जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विधिवत आदेश नहीं है हल्का पटवारी ने बिना कोई सीमाकन करवाये अपीलाण्ट के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है तहसीलदार कोर्ट द्वारा मामले में दस्तावेजों को संलग्न करते तो अपील में यह बात आवश्यक रूप से आती की अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काशत नहीं है तथा 0.10 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार की कोई फसल भी नहीं ली जा सकती है इसलिये अधिनस्त तहसीलदार कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अतिक्रमण के संदर्भ में पटवारी की टिप्पणी की जाँच की गई जिसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमण का वर्णन है। अतः तहसीलदार के निर्णय में कोई विसंगती नहीं पाई गई। अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी था।



अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला क्लर्क
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी